क्रमांक 16/3/84–3 जी0 एस0–II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी (ना) हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 6–2–84

विषय:– सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियो के आश्रित सदस्यों को नौकरी सुविधा प्रदान करने बारे ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 2283–3 जी0 एस0–II–72/15439, दिनांक 9–5–1972 की ओर दिलाने और यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुग्रहपूर्वक अनुदान संबंधी सुविधा तदर्थ आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के परिवारों को नहीं दी जाती हैं। परन्तु सरकार को कुछेक ऐसे केस भी प्राप्त हुए हैं जिनमें विभिन्न विभागों द्वारा तदर्थ कर्मचारियों के परिवारों को ऐसी सुविधाएं करुणामूलक आधार पर प्रदान करने बारे सिफारिश की है । अतः आप कृपया भविष्य में यह सुनिश्चित कर लें कि तदर्थ आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के परिवारों का अनुग्रहपूर्वक अनुदान देने बारे प्रस्ताव इस विभाग को न भेजे जायें तथा प्रत्येक प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया जाये कि मृतक कर्मचारी तदर्थ आधार पर कार्य नहीं कर रहा था ।

2. कृपया इन अनुदेशों का दृढ़ता से पालन किया जाये व इन्हें अपने अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारियों के ध्यान में ला दिया जाये ।

3. इस पत्र की पावती भी भेजी जाए ।

ह0/–
उप सचिव, प्रोटोकोल,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्तों, आयुक्त एवं सचिवों व सचिवों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।